न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र खिमाडा

पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व वाद सं. 92/2012
दायरा तिथि 18.10.2012
निर्णय तिथि 18.06.2016

वादीगण–

1–दलाराम पुत्र स्व.सदाजी
2–समु पत्नी स्व.सदाजी
3–राधा पुत्री स्व.सदाजी
4–गीता पुत्री स्व.सदाजी
5–छोगाराम पुत्र पूनाजी
6–लेरकी पुत्री पूनाजी
जातिगण मेघवाल निवासीगण बांगडी
तहसील सुमेरपुर

बनामः

प्रतिवादीगण–

1–गलबा पुत्र भुराजी
2–स्व.मुलाराम पुत्र भुराजी के का.मु.–
2/1–नेनु पत्नी स्व.मूलारामजी
2/2–बाबूलाल पुत्र स्व.मूलारामजी
2/3–भंवरलाल पुत्र स्व.मूलारामजी
2/4–रमेशकुमार स्व.मूलारामजी
प्रतिवादी सं.2/3 व 2/4
नाबालिग जरिए कुदरती
माता नेनु पत्नी मूलारामजी
2/5–पंकु पुत्री स्व.मूलारामजी
2/6–रेखा पुत्री स्व.मूलारामजी
3–जेठाराम पुत्र स्व.सदाजी
तमाम जातिगण मेघवाल
निवासीगण बांगडी तह.सुमेरपुर
4–राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी
तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट,1955

–: नि र्ण य :–

दिनांक 18.06.2016

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र खिमाडा में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। हमने, लोक अदालत की भावना से पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन एवं परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत् मामले की वाद–विषयक स्थिति अनुसार वादीगण ने कतिपय प्रावधानों के तहत यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी सं.01 लगाय 04 व प्रतिवादी सं.03 स्व.सदाजी पुत्र मोतीजी के वारिस है तथा वादी सं.05 व 06 स्व.पूनाजी पुत्र मोतीजी के वारिस है एवं प्रतिवादी सं.01 व 02 स्व.भुराजी पुत्र मोतीजी के वारिस है। सरहद मौजा बांगडी पटवार सर्कल खिमाडा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 22 रकबा 0.75 हेक्टर व खसरा नं. 23 रकबा 0.70 हेक्टर कुल रकबा 1.45 हेक्टर किस्म जवाई नहरी प्रथम जो पहले मोती पुत्र लादाजी के कब्जे काश्त की थी व मोतीजी मृत्यु बाद उनके तीनों पुत्र सदाजी, पुनाजी व भुराजी का अर्थात प्रत्येक का 1/3 – 1/3 हिस्सा अनुसार पुश्तैनी कब्जा काश्त रहा है, उसके बाद स्व.सदाजी के वारिसों का 1/3 हिस्सा, स्व.पुनाजी के वारिसों का 1/3 हिस्सा व स्व.भुराजी के वारिसों का 1/3 हिस्सा अनुसार आज तक पुश्तैनी कब्जा काश्त चला रहा है, परन्तु प्रतिवादी सं.02 के पिता भुरा पुत्र मोतीजी ने फर्जीवाडा करके राजस्व कर्मचारियों से मिलकर झूंठा रेकर्ड तैयार करवा कर बाले–2 अपने नाम आवंटन/नियमन दर्ज करवा दी, जबकि दिनांक 29.05.1989 को आवंटन नियमन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम पंचायत खिमाडा को खसरा नं. 341 व 343 की भूमि ही आवंटित की थी, उक्त रोज प्रतिवादी सं.01 व 02 के पिता भुराजी पुत्र मोतीजी को न तो उक्त वादग्रस्त भूमि आवंटित हुई थी ना ही नियमन हुई थी। उक्त फर्जीवाडे के कारण वादीगण अपने कानूनी खातेदारी हक–अधिकार से वंचित हो रहे है, परन्तु आज भी उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के मौके पर 1/3 – 1/3 हिस्से के अनुसार पक्षकारों का कब्जा काश्त

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner

चला आ रहा है। वादग्रस्त कृषि भूमि में स्व.सदाजी का 1/3 हिस्सा रहा है तथा उनकी मृत्यु बाद प्रतिवादी सं.03 को उसका हिस्सा अलग से दे दिया गया है इसलिए उसका इस वादग्रस्त भूमि में कोई हक नहीं रहा है। परन्तु प्रतिवादी सं.01 व 02 के पिता भुराजी द्वारा फर्जीवाडा करने वादीगण को उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत वादीगण को 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व वादीगण उक्त हक–हिस्से व कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादीगण या उनका कोई भी प्रतिनिधि किसी प्रकार से दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे। वादीगण की ओर से वादपत्र के साथ दस्तावेज क्रमशः धारा 91 के नोटिस–2, सिंचाई मांग पत्र–2, मिलान क्षेत्रफल, बिगोडी रसीदे, आवंटन आदेश, नामान्तरकरण सं.13 व 44, खसरा परिवर्तनशील संवत् 2047, जमाबंदिया संवत् 2045–48, 2049–52, 2065–68, रजिस्टर्ड नोटिस व पावती रसीद इत्यादि की प्रतियां पेश की है।

(2) कि वादीगण का कथित वादपत्र पंजीबद्ध किया गया तथा यह मामला विधिक प्रक्रियां के तहत विचारार्थ रहते इस आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प में भू–अभिलेख निरीक्षक कोसेलाव ने वादग्रस्त कृषि भूमि से संबंधित रेकर्ड एवं मौका स्थिति की जांच रिपोर्ट पेश की, जिसे रेकर्ड पर लिया गया। कथित जांच रिपोर्ट अनुसार जमाबंदी संवत् 2045–48 के खाता सं.01 में वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 22 व 23 कुल रकबा 1.45 हेक्टर अलावा जोत काबिल काश्त सिवायचक भूमि दर्ज थी व उक्त जमाबंदी के में दर्ज प्रविष्ठि अनुसार नामान्तरकरण सं.13 द्वारा राजस्व अभियान दिनांक 29.05.1989 में आवंटन होने से भुरा पुत्र मोती जाति मेघवाल सा. बांगडी के नाम दर्ज हुई। आवंटी भुरा फौत होने से उनके वारिस गलबा, मूल पि.भुरा, मु.पुरकी पत्नी भुरा कौम मेघवाल सा.देह खातेदार विरासत के नामान्तरकरण सं. 44 दिनांक 26.06.1993 द्वारा दर्ज किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक कोसेलाव ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह भी जाहिर किया है कि उक्त आवंटन भूमि केवल भुरा पुत्र मोती के नाम हुई है जिसमें स्व.सदा पुत्र मोती व स्व.पुना पुत्र मोती का 1/3 – 1/3 हिस्सा दर्ज किया जाना उचित नहीं है।

चूंकि, प्रश्नगत् मामले में भू–अभिलेख निरीक्षक कोसेलाव द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट के तथ्यों से हम सहमत है और इस वाद पत्रावली की आगामी कार्यवाही को वर्तमान समय में आगे चलाने का प्रथमतः कोई विधिक आधार प्रकृट नहीं होता है, परन्तु वादीगण के पुनर्वाद लाने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए प्रश्नगत् मामले में वादीगण द्वारा विवादित तथ्यों का जो उल्लेख किया है, उसके संदर्भित वस्तुस्थिति के बारे में जांच का विषयक बिन्दु आवश्यक होने से इस बारे में हमारी विधिक राय है कि तहसीलदार सुमेरपुर स्वयं, प्रश्नगत् मामले में उल्लेखित विवादित तथ्यों के बारे में एवं खातेदार को वादग्रस्त कृषि भूमि की खातेदारी किस विधि से प्राप्त हुई है, के बारे में विस्तृत जांच करे, व अनुचित होने पर विधिवत् रेफरेन्स की कार्यवाही करे।

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः सरहद मौजा बांगडी पटवार सर्कल खिमाडा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 22 रकबा 0.75 हेक्टर व खसरा नं. 23 रकबा 0.70 हेक्टर कुल रकबा 1.45 हेक्टर किस्म जवाई नहरी प्रथम के बारे में वादीगण का यह वादपत्र कतिपय प्रावधानों के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रथमतः वर्तमान समय में चलने योग्य व पोषणीय प्रतीत नहीं होने से वादीगण के पुनर्वाद लाने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए इसे सव्यय खारिज किया जाता है, साथ ही तहसीलदार सुमेरपुर को आदेशित किया जाता है कि प्रश्नगत् मामले में उल्लेखित विवादित तथ्यों के बारे में एवं खातेदार को वादग्रस्त कृषि भूमि की खातेदारी किस विधि से प्राप्त हुई है, के बारे में विस्तृत जांच करे, व अनुचित होने पर विधिवत् रेफरेन्स की कार्यवाही कर पालना सुनिश्चित करे। निर्णय/डिक्री की सत्यापित प्रति तहसीलदार सुमेरपुर को पालनार्थ भिजवायी जावे। माफिक निर्णय, डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह निर्णय बरोज आज दिनांक 18.06.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र खिमाडा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner